Samyak
An Institute For Civil Services

MODEL ANSWER

Q. Explain the constitutional provisions that uphold secularism in India. How does the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, align with the fundamental duties and the basic structure doctrine of the Indian Constitution?

Secularism, a cornerstone of Indian democracy, ensures the separation of religion from the State while advocating equal respect for all religions. Unlike the Western concept of secularism of absolute separation, Indian secularism aligns with the ideals of Sarva Dharma Samabhava and Dharm Nirpekshta.

Constitutional Provisions Related to Secularism

1. **Preamble**: The term *Secular* was added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, emphasizing equal respect for all religions.
2. **Fundamental Rights** (Part III):
    - **Article 14**: Ensures equality before the law and equal protection of laws to all individuals, irrespective of religion.
    - **Article 16(1)**: Prohibits discrimination in public employment based on religion.
    - **Article 25**: Guarantees freedom of conscience and the right to profess, practice, and propagate religion.
    - **Article 26**: Allows religious groups to manage their religious affairs and establish institutions.
    - **Article 27**: Bars the use of taxes for promoting any religion.
    - **Article 28**: Restricts compulsory religious instruction in State-funded educational institutions.
3. **Cultural and Educational Rights** (Articles 29 and 30):
    - Protect minority communities' rights to preserve their culture and establish educational institutions.
4. **Fundamental Duties** (Article 51A):
    - Promotes harmony, a spirit of common brotherhood, and preservation of India's composite culture.
5. **Directive Principles of State Policy** (Article 44):
    - Advocates a Uniform Civil Code to eliminate religious disparities.

The **Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991** ensures that the religious character of places of worship remains as it was on **15th August 1947**, barring legal disputes over their status.

Key Features of the Act:

1. **Preservation of Religious Harmony**: Prevents the conversion of places of worship from one religion to another, ensuring harmony.
2. **Protection of Secularism**: Aligns with Articles 14, 25, and 26 by preserving religious equality and freedom.
3. **Basic Structure Doctrine**: The Act upholds secularism as part of the basic structure of the Constitution, as established in the **Kesavananda Bharati Case (1973)** and reiterated in the **Ayodhya Verdict (2019)**.
4. **Fundamental Duties**: Encourages citizens to respect the religious diversity of India.

The Indian Constitution, through its provisions and the judiciary's interpretation, safeguards secularism as the foundation of India's democracy. The Places of Worship Act, 1991, complements this by preventing disputes over historical religious conversions, thereby reinforcing harmony and equality. This synergy ensures that secularism continues to protect the diverse fabric of Indian society.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: भारत में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने वाले संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों और मूल संरचना सिद्धांत के साथ कैसे संरेखित है?

धर्मनिरपेक्षता, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जो सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की वकालत करते हुए धर्म को राज्य से अलग रखती है। धर्मनिरपेक्षता की पूर्ण पृथक्करण की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्व धर्म सम भाव और धर्म तटस्थता के आदर्शों के साथ संरेखित है।

धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

1. प्रस्तावना: धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान पर जोर दिया गया।
2. मूल अधिकार (भाग III):
    a. अनुच्छेद 14: भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी धर्म के व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
    b. अनुच्छेद 16(1): धर्म के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को रोकता है।
    c. अनुच्छेद 25: यह अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है।
    d. अनुच्छेद 26: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संस्थाएँ स्थापित करने की अनुमति देता है।
    e. अनुच्छेद 27: किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए शुल्क लगाने पर रोक लगाता है।
    f. अनुच्छेद 28: राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है।
3. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30):
    a. अल्पसंख्यक समुदायों के अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों की रक्षा करता है।
4. मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए):
    a. सद्भाव, भाईचारे की भावना और भारत की समग्र संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
5. राज्य नीति के निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 44):
    a. धार्मिक असमानताओं को खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत करता है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 किसी भी पूजा स्थल को बदलने पर रोक लगाता है। यह 15 अगस्त, 1947 को जैसी थी, वैसी ही उनकी धार्मिक स्थिति बनाए रखने का आदेश देता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

1. धार्मिक सद्भाव का संरक्षण: सद्भाव सुनिश्चित करते हुए पूजा स्थलों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से रोकता है।
2. धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण: धार्मिक समानता और स्वतंत्रता को संरक्षित करके अनुच्छेद 14, 25 और 26 के साथ संरेखित करता है।
3. मूल संरचना सिद्धांत: अधिनियम संविधान की के मूल संरचना के हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखता है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा गया था और अयोध्या फैसले (2019) में दोहराया गया था।
4. मूल कर्तव्य: नागरिकों को भारत की धार्मिक विविधता का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय संविधान अपने प्रावधानों और न्यायपालिका की व्याख्या के माध्यम से भारत के लोकतंत्र की नींव के रूप में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 ऐतिहासिक धार्मिक रूपांतरणों पर विवादों को रोककर इसका पूरक है, जिससे सद्भाव और समानता को मजबूती मिलती है। यह तालमेल सुनिश्चित करता है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के विविध ताने-बाने की रक्षा करती रहे।

Samyak
An Institute For Civil Services